कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 863/ FP/UK/ROAD/16041/2015 :देहरादूनः दिनांकः 28 सितम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,

25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में बन्दरलीमा–हड़खोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/1991/2019/एफ0सी0/1409 दिनांक 30.09.2020।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं.	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–** (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1980 पौंधो का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.98 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें राज्य सरकार पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करें हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1980 पौंधो का रोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.98 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा कोष में जमा की गयी है। उक्त स्थल में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों का मिश्रीत प्लांटेशन किया जायेगा। पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Coordinates सहित संलग्न है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्यापित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त सं0 3–(क) के अनुसार प्रतीपूरक वनीकरण की धनराशि जमा की गयी है।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**	

	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक 13.09.2003, 5–2/2006 –एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 –एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.99 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्त... की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक ... द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी... धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संल...
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेंगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है किएन0पी0वी0 की दर में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
6	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 55 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 55 Trees से अधिक नहीं होगी।
7	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines 11.2. the State Govt. will monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया गया है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानान्तरित /जमा किए जाएगें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख /प्रमाण पत्र संलग्न कर किये गये है। (छाया प्रति संलग्न)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0आर0सी0 मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो–बीच पौधो की संख्या बढ़ाई जायेगी।
11	सुरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें।
12	सी0डब्ल्यू0एल0 डब्ल्यू0/एन0वी0डब्ल्यूएल0 /एफ0एसी0 /आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को उक्त शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

13	यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को उक्त शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
17	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि का प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा योजनाओं की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि का प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा योजनाओं की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।
20	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711/12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।

23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय-समय पर आहरित शर्ते लागू होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्त[illegible] की पत्र संख्या–711 / 12–1 (2) दिनांक 2[illegible] द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्धारित [illegible] पालन किया जायेगा।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैंका जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अ[illegible] की पत्र संख्या–711 / 12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि मक डिस्पोजल [illegible] प्राविधान किया गया है।
25	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711 / 12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711 / 12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।
संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

संख्या– 863 / FP/UK/ROAD/16041/2015 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–711 / 12–1 (2) दिनांक 27.08.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट।

28/9/22
(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

98

108

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 711 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 27-8-2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत बन्दरलीमा–हड़खोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 हे0 वनभूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/16041 /2015.

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/1991/2019/एफ0सी0/1409 दिनांक 30.09.2020।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 673/12–1–2 दिनांक 18.08.2022 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सं0 अ0/प्रभारी पिथौरागढ़
आ. का. करें।

प्रमु0 व0 सं0/नोडल
05-9-22

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 1446
पत्रावली 265
दिनांक 6-9-22

(102)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉकः– 673 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 18, अगस्त, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में बन्दरलीमा–हड़खोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/16041/2015)।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/1991/2019/एफ0सी0/1409 दिनांक 30.09.2020 प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 573/13सी दिनांक 13.05.2022 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1262/13सी0 दिनांक 02.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो का निम्नवत अनुपालन कर अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

क्र. सं.	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।
3	<u>प्रतिपूरक वनीकरणः–</u> (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1980 पौधो का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.98 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें राज्य सरकार पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करें हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1980 पौघो का रोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.98 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा कोष में जमा की गयी है। उक्त स्थल में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों का मिश्रीत प्लांटेशन किया जायेगा। पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Coordinates सहित संलग्न है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याषित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त सं0 3–(क) के अनुसार प्रतीपूरक वनीकरण की धनराशि जमा की गयी है।
5	<u>शुद्ध वर्तमान मूल्यः–</u> (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक 13.09.2003, 5–2/2006 –एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 –एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.99 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न)

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
6	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 55 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 55 Trees से अधिक नहीं होगी।
7	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines 11.2. the State Govt. will monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया गया है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानान्तरित /जमा किए जाएगें।	संलग्न।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख /प्रमाण पत्र संलग्न कर किये गये है। (छाया प्रति संलग्न)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0आर0सी0 मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो–बीच पौधो की संख्या बढ़ाई जायेगी।
11	सुरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें।
12	सी0डब्ल्यू0एल0 डब्ल्यू0 / एन0वी0डब्ल्यूएल0 / एफ0एसी0 /आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति. के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न।
17	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागतपर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि का प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा योजनाओं की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि का प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा योजनाओं की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।

20	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वनभूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
21	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय–समय पर आहरित शर्ते लागू होगी।	निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवें का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैका जायेगा।	मक डिस्पोजल का प्राविधान किया गया है।
25	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांकः– / दिनांकित।
प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पौधारोपण योजना

परियोजना विवरणः— जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना हेतु हस्तांतरित कुल वन भूमि का क्षे0— 0.99 हे0

प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल— 1.98 हे0

वृक्षारोपण स्थल का नामः— कमतोली रिजर्व [N-29° 42' 53.34" E-80° 8' 38.5"]

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्याः— 1100

प्रथम चरण

कम सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	हे0	147	हे0	147
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान)	0.6	हे0	887	हे0	532.2
3	लेंटाना / काला बांसा / गाजर घास					
अ	लेंटाना काला बांसा / गाजर घास को जड़	0.4	हे0	6608.68	हे0	2643.472
ब	लेंटाना काला बांसा / गाजर घास को क्षेत्र के बाहर नष्ट करना	0.4	हे0	2202.5	हे0	881
4	जल संरक्षण कार्य	1	हे0	11700	हे0	11700
5	कंटूर फरें खुदान (600 र0मी0 प्रति हे0)	600	र0मी0	11.14	प्रति हे0	6684
6	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 90घन मी0 प्र0हे0	90	घन मी0	478	प्रति घन मी0	43020
7	गढ्ढे खुदान (0.30X0.30X0.45)	1100	हे0	11.14	हे0	12254
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1	हे0	737	हे0	737
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) (10 % अतिरिक्त)	1210	हे0	8.7	हे0	10527
10	रोपण क्षेत्र में प्रर्वेश हेतु दो तरफा सीढ़ी	1	संख्या	1006	प्रति सीढ़ी	1006
11	अन्यव्यय जैसे यंत्र, संयत्र, औजार तेज करना व वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गडडे खोदना	1	हे0	470	हे0	470
	योग प्रथम चरण					**90601.672**

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गडडे भरान का कार्य (0.30X0.30X0.45)	1100	गड्डे	1.75	गड्डे	1925

2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	1210	पौध	1.75	पौध	2117.5
3	पौध ढुलान कार्य	1210	पौध	9.7	पौध	11737
					गडड़े	3443
4	पौधारोपण व थालबन्दी	1100	गडड़े	3.13		630
5	कंटूर फर्रे में बीज बुवाई	600	र मी0	1.05		2530
6	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार) (@1.15X2)	1100	गडड़े	2.3	गडड़े	
						352
7	खाद व दवा पर व्यय	1100	है0	0.32	है0	7235
8	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देखरेख व रखरखाव पर व्यय	1	है0	7235	है0	
					प्रति	11140
9	कंटूर फर्रे खुदान कार्य जल संरक्षण हेतु	1000	र मी0	11.14		
10	1– वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एव ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2– सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	3– वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट कय वर्ष में 2–3 बार फोटोग्रफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूटेशन आदि कार्य।	1	है0	700	है0	700
	योग द्वितीय चरण					**42784.5**

तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350

	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	कन्टूर फर्र खुदान जल संरक्षण हेतु	1000	र0मी0	11.14	प्रति र0	11140
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	32	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	7377.6
	योग तृतीय चरण					**30344.6**

चतुर्थ चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	वाटर हार्वेस्टिंग टेंक निर्माण	4	संख्या	4500	प्रति	18000
	योग चतुर्थ चरण					**29827**

पंचम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350

	2.2— सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
	योग पंचम चरण					**11827**

षष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1— वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास—फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2— सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	वानस्पतिक चैक डेम निर्माण कार्य	5	संख्या	4500	प्रति	22500
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	30	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	6916.5
	योग षष्टम चरण					**41243.5**

सप्तम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1— वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास—फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350

	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्धित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	वाटर हार्वेस्टिंग टेंक निर्माण	5	सख्या	4500	प्रति	22500
	योग सप्तम चरण					**34327**

अष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	10374.75
	योग अष्टम चरण					**22201.75**

नवम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350

	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	10374.75
	योग नवम् चरण					**22201.75**

दशम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
	योग दशम चरण					**11827**
	कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण)				या	**337185.77** 337184.00

वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0 337184 रु0

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 1.98 है0

वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु कुल धनराशि 1.98है0 X 337184 = 6,67624.32

या 6,67,624.00

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट वन क्षेत्र

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-07-2021

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6116041933
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/199/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askotePithoragarh
Amount(in Rs)	1504174.00

Amount in Words :Fifteen Lakh Four Thousand One Hundred and Seventy-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896116041933 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-07-2021

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6116041933
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/199/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(in Rs)	1504174.00

Amount in Words :Fifteen Lakh Four Thousand One Hundred and Seventy-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896116041933 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

C.A.
Executive Engineer
Constuction Division
P.W.D. Askote

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

22 MAR 2022

22 MAR 2022

Executive Engineer
Constuction Division
P. W. D. Askote
Code No. 1863

SBINR52022032273767768

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।
E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234
पत्रांक 84 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 06 जुलाई, 2020।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अरकोट, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में बन्दरलीमा छड़खोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.990 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/199/2019/एफ सी/1409 दिनांक 30.09.2020 व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1096 दिनांक 09.10.2020।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 03 व 05 के कम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	0.99 हे0	8,45,000/– (ईको क्लास–V) घनत्व 0.4	8,36,550.00/–
2	प्रतिपूरक वनीकरण	1.98 हे0	3,37,184/–	6,67,624.32/–
			योग	15,04,174.32/–

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्र0 अधि0
New

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रपत्र–42

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में बन्दरलीमा–हडखोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि0मी0)

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी VI
2. हरियाली का घनत्व .3
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 699000/-
4. आवेदित वन भूमि का हे0 0.990 Hact.
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि 692010/-

प्रभागीय वनाधिकारी
ह0 पिथौरागढ़ वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्र अधिकारी,
डीडीहाट वन क्षेत्र

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में बन्दरलीना–हडखोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि0मी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

Rohali
J.E.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
अस्कोट (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ मे बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – बन्दरलीमा /हड़खोला / तोलीचुफाल
तहसील– कनालीछीनजिला–पिथौरागढ़
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु शून्य हे0, आरक्षित वन भूमि,0.990 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य...हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.990 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बन्दरलीमा /हड़खोला/हचीला द्वारा दिनांक 10.06.15 ....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम —, बन्दरलीमा /हड़खोला/तोलीचुफाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत वि0अ0
क्षेत्र....तोलीचुफाल
विकास खण्ड...डीडीहाट
जिला पिथौरागढ़

कुन्ती देवी
श्रीमती कुन्ती देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत- तोली चुफाल
वि0ख0- डीडीहाट (पिथौरागढ़)
ह0/–
ग्राम प्रधान

नन्दा
नन्दा देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
तोलीचु...
वि0ख0 डीडीहाट, पिथौ...

R Bhatt
सरपंच
वन पंचायत सेलमा

सरपंच (सेलमा)
सरपंच
वन पंचायत - तोलीचुफाल
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

सरपंच
वन पंचायत हड़खोला

F:\PWD_ASKOTE_LETTER'S\pal\pandey G\PANDEY G Ammin\Till_Febuary\Banderleema_Harkhola_Moter Road

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ मे बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 किमी0)

दिनांक:– 18/08/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्रमांक	ग्राम सभा मे उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री खड़क सिंह	खड़क सिंह
2	श्री भवान सिंह	भवान सिंह
3	श्री राजेन्द्र सिंह	[illegible]
4	श्री प्रवीण सिंह	[illegible]
5	श्री सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
6	श्री सोबन सिंह	सोबन सिंह
7	श्री राम सिंह	राम सिंह
8	श्री शेर सिंह	[illegible]
9	श्री राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
10	श्री जगत सिंह	जगत सिंह
11	श्री मनोहर सिंह	[illegible]
12	श्री चन्द्र सिंह	चन्द्र सिंह
13	श्री लाल सिंह	[illegible]
14	श्री त्रिलोक सिंह	त्रिलोक सिंह
15	श्री किशन सिंह	किशन सिंह
16	श्री मोहन सिंह	मोहन सिंह
17	श्री धन सिंह	धन सिंह
18	श्री लाल सिंह	लाल सिंह
19	श्री तेज सिंह	[illegible]
20	श्री राम सिंह	राम सिंह
21	श्री राजेन्द्र सिंह	[illegible]
22	श्री भूपेन्द्र सिंह	[illegible]
23	श्री [illegible] सिंह	[illegible]
24	श्री पूरन सिंह	P S [illegible]
25	श्री भवान सिंह	भवान सिंह

कुन्ती देवी
श्रीमती कुन्ती देवी
ह0 /– प्रधान
ग्राम पंचायत– तोली घुफाल
ग्राम प्रधान
वि0ख0– डीडीहाट (पिथौरागढ़)

R Bhatt
सरपंच
वन पंचायत– बन्दरलीमा
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

[illegible]
सरपंच
वन पंचायत– तोलीघुफाल
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

[illegible]
[illegible] देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
तोली [illegible]
वि0ख0 डीडीहाट, पिथौरागढ़

[illegible]
सरपंच
वन पंचायत हड़खोला
[illegible]

F:\PWD_ASKOTE_LETTER'S\pal\pandey G\PANDEY G Ammin\Till_Febuary\Banderleema_Harkhola_Moter Road

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी डीडीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,डीडीहाट

उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि0मी0) (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.990 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डीडीहाट) की दिनांक 30.9.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जय भारत सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री जय भारत सिंह उपजिलाधिकारी — उप जिलाधिकारी — अध्यक्ष
2– श्री ए0के0 [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी — डीडीहाट — सदस्य
3– श्री आर0 एस0 सामन्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी — डीडीहाट (सदस्य) सचिव
4– श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र — (सदस्य) सदस्य
5– श्रीमती हेमा देवी — — सदस्य
6– श्रीमती देवकी देवी — सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ में बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि0मी0) परियोजना हेतु 0.990हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि की संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.990 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

30/09/15

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील डीडीहाट
जनपद पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील डीडीहाट
जनपद पिथौरागढ

FROM -1

GOVERENMENT OF UTTARAKHAND

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAARH

Dated 9/11/2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.990** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of BANDARLEEMAHARKHOLA Road Construction Division P.W.D. Askote (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdication of **Banderleema-Selma-Toli Chuphat Harkhola village(s)** in DIDIHAT Tahsils.

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire **0.990** hectares area proposed for diversion A copy of records of all consolation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub- division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural at communities

Encl: As above

Signature

निरीक्षक

(Full Name of the official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT-PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Sushil Kumar I.A.S. deputy commissioner Pithoragarh on dated 09/10/2015 at time 2:00.....at Pithoragarh in which application claiming rights of Banderleema, Tooli Chufat area measuring ..0.:.990 hect for the construction of Banderleema Hadkhola Motor Raod 4.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the division level committee of Askote division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place-Pithoragarh
Dated:.09/10/2015

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee